राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर
दूरभाष 0141–2704357 फैक्स 0141–2704358 ई–मेल : dir-sans-rj@nic.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : निसंशि / शैक्ष.2–3 / 2019–20 / 2488–96 दिनांक : 12-4-2020

आदेश

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में लागू लॉक डाउन के चलते समस्त प्रकार के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय वर्तमान समय में बन्द है। विद्यालयों में आवागमन नियमित कक्षा शिक्षण, परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य स्थगित है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं जारी निर्देशों की पालना में कक्षा 1 से 9 एवं कक्षा कनिष्ठ उपाध्याय (11) के समस्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत करने हेतु सत्र 2019–20 में एक बारीय शिथिलन प्रदान किया जाता है। इस क्रम में समस्त सम्भाग एवं संस्था प्रधान निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेगें–

1. सत्र 2019–20 में कक्षा 1 से 8 तक में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा के लिए क्रमोन्नत माना जायेगा तथा वे आगामी उच्च कक्षा के लिए प्रवेश हेतु योग्य होंगे।
2. क्रमोन्नत किये जाने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिये जाने हैं। कक्षा 5 एवं कक्षा 8 के लिए पृथक से प्रारूप जारी किये जायेगें तथा शेष कक्षाओं के लिए पृथक से प्रपत्र दिये जाने प्रस्तावित हैं।
3. कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके समग्र मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना है। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा सत्र 2019–20 में विद्यार्थी के अब तक के समग्र मूल्यांकन यथा– तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी तथा सत्र में विद्यार्थियों के समग्र प्रदर्शन को आधार बनाया जायेगा।
4. विद्यार्थियों की आगामी कक्षा प्रवेशिका / वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नति के लिए कक्षा 9 एवं 11 में भारांक प्रतिशत निम्नानुसार होगा :–

क्र. सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत		सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु भारांक प्रतिशत	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक		
		100	50	20	30	
1	2	3	4	5	6	(7=4+5+6)

उदाहरणार्थ किसी विद्यार्थी के हिन्दी विषय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक 30 है और तीनों परख में 15 है तथा सहशैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्रदत्त अंक 25 हो, तो भारांक की गणना निम्नानुसार की जायेगी–

क्र. सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत		सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु भारांक प्रतिशत	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक		
		100	50	20	30	
1	2	3	4	5	6	(7=4+5+6)
1	हिन्दी	100	30x50/70=21.4=22	15x20/30=10	25	57

इसी अनुरूप प्रत्येक विषय का आंकलन किया जाना है।

5. लॉकडाउन समाप्ति के उपरान्त विद्यालय पुनः संचालन होनें पर संस्था प्रधान द्वारा सत्र 2019–20 में अध्ययनरत कक्षा 9 व 11 के समस्त छात्रों को निर्धारित प्रारूप में पृथक से क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र जारी करेगें।

निरन्तर 2 पर

www.rajteachers.com

6. कक्षा 9 व 11 में क्रमोन्नत समस्त विद्यार्थी स्वतः ही आगामी कक्षा में प्रवेशित माने जायेगे।
7. उक्त शिथिलन एवं प्रावधान केवल एक सत्र 2019–20 के लिए ही प्रभावी होंगे।

संलग्न :– क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र प्रारूप–

1. कक्षा 9 एवं 11 हेतु क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र प्रपत्र क
2. कक्षा 8 से क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र प्रपत्र ख
3. कक्षा 5 से क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र प्रपत्र–ग
4. कक्षा 1 से 4 व 6–7 हेतु क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र प्रपत्र–घ

12-4-2020
(डॉ.दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसि.शि./शैक्ष.2 एवं 3/2019–20/2488–96 दिनांक 12-4-2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान निजी सहायक माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
2. श्रीमान निजी सचिव शासन सचिव, सचिवालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान निजी सचिव विशिष्ठ सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
4. श्रीमान शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग जयपुर
5. श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
6. समस्त सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
7. समस्त संकुल प्रभारी संस्कृत शिक्षा विभाग
8. समस्त संस्था प्रधान संस्कृत शिक्षा विभाग
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com

प्रपत्र–क

राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा विभाग

संस्था का नाम : ....

सत्र 2019–20

क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र प्रारूप

स्कॉलर रजिस्टर संख्या ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री .... (माता का नाम) .... (पिता का नाम)

कक्षा .... जन्मतिथि .... शब्दों में..

वर्ग.....................(सामान्य/पिव/अजा/अजजा/अतिपिव/अल्पसंख्यक) प्रवेशांक ....

सत्र 2019–20 मे इस विद्यालय की कक्षा 9/11 मे नियमित विद्यार्थी के रूप मे अध्ययनरत रहा/रही है। उक्त ....(विद्यार्थी का नाम को निदेशक महोदय संस्कृत शिक्षा के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसरण मे आगामी कक्षा 10/12 मे क्रमोन्नत किया जाता है।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर
यू डाईस कोड

www.rajteachers.com

प्रपत्र–ख

राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा विभाग

संस्था का नाम : ....

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र

सत्र 2019–20

क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र

स्कॉलर रजिस्टर संख्या ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री .... (माता का नाम) .... (पिता का नाम) **कक्षा 8** जन्मतिथि .... शब्दों में .... विद्यालय का नाम .... को आगामी **कक्षा 9** के लिए क्रमोन्नत किया जाता है।

यह प्रमाण–पत्र **कक्षा 8** की योग्यता/पूर्णता एवं आगामी कक्षा में प्रवेश के लिए वैध होगा।

दिनांक ....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर

www.rajteachers.com

प्रपत्र–ग

राजस्थान सरकर

संस्कृत शिक्षा विभाग

संस्था का नाम : ....

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन

सत्र 2019–20

क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र

स्कॉलर रजिस्टर संख्या ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री .... (माता का नाम) .... (पिता का नाम)

कक्षा 5 जन्मतिथि ....शब्दो मे...विद्यालय

का नाम.. को आगामी

कक्षा 6 के लिए क्रमोन्नत किया जाता है।

यह प्रमाण–पत्र **कक्षा 5** की योग्यता/पूर्णता एवं आगामी कक्षा मे प्रवेश के लिए वैध होगा।

दिनाक : ....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर

www.rajteachers.com

प्रपत्र–घ

राजस्थान सरकर

संस्कृत शिक्षा विभाग

संस्था का नाम : ....

सत्र 2019–20

क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र

स्कॉलर रजिस्टर संख्या : ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री .... (माता का नाम) .... (पिता का नाम)

कक्षा .... जन्मतिथि ....शब्दों मे...

विद्यालय का नाम ....

को आगामी कक्षा .... के लिए क्रमोन्नत किया जाता है।

यह प्रमाण–पत्र कक्षा .... की योग्यता/पूर्णता एव आगामी कक्षा मे प्रवेश के लिए वैध होगा।

दिनाक : ....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर

www.rajteachers.com